## कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक्त) गुजरात, शाखा अहमदाबाद "ऑडिट भवन" पांचवी मंजिल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-09

परिपत्र सं. डब्लू एम्-1/ 23 दिनांक: 27.03.2023

MO-WM 70W-1560 D+: 28/03/2023.

मुख्यालय के पत्र सं. 297/Staff (Disc. I)/03-2021दिनांक 03.02.2023 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर ई-लर्निंग मॉड्यूल, जो एक स्व-शिक्षण मॉड्यूल है, की शुरुआत की गई है, जिसे साईं प्रशिक्षण पोर्टल (SAI Training Portal) पर अपलोड कर दिया गया है |

As per HQ letter no. 297/Staff (Disc. I)/03-2021 dated: 03.02.2023, e-learning module on Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace, which is a self-learning module, available on SAI Training Portal, has been uploaded.

अतः इस कार्यालय के सभी मंडल लेखा अधिकारी / मंडल लेखाकारों को निदेशित किया जाता है कि साईं प्रशिक्षण पोर्टल (SAI Training Portal) के अंतर्गत Learning Management System (LMS) पोर्टल (<a href="https://training.cag.gov.in/Lms\_Login.aspx">https://training.cag.gov.in/Lms\_Login.aspx</a>) में "General Course" में जाकर उक्त प्रशिक्षण के लिए नामांकित कर इसे पूरा करें |

Therefore, all Divisional Accounts Officers/Divisional Accountants are directed to log in to the Learning Management System (LMS) portal (<a href="https://training.cag.gov.in/Lms\_Login.aspx">https://training.cag.gov.in/Lms\_Login.aspx</a>) under SAI Training Portal. Go to "General Course" and enroll for the said training and complete it.

नए नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, परिवीक्षा (probation) के दौरान इस पाठ्यक्रम को पूरा करना अनिवार्य है |

It is mandatory for newly appointed Divisional Accountants to complete this course during their probation.

मुख्यालय के निदेशानुसार उपरोक्त प्रशिक्षण को मार्च-2024 तक पूरा करना अनिवार्य है | As per direction of the Headquarters, it is mandatory to complete the above training by March-2024.

उपरोक्त प्रशिक्षण की समाप्ति पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रमाण पत्र डब्लू एम् – । अनुभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) ,अहमदाबाद को रिकॉर्ड के लिए भिजवाना अनिवार्य है ।

After completion of the above said training, all officers/officials must send the certificates to the WM-I Section, O/o the Accountant General (A&E), Ahmedabad for record.

(प्राधिकार:- उपमहालेखाकार (लेखा एवं हक्त) के आदेश दिनांक: 21.02.2023)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखाधिकारी/डब्लू एम्-1

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1. सचिव,विभागीय लेखाकार संघ, गुजरात
- 2. सभी कार्यपालक अभियंता, आर & बी, इरीगेशन,गेरी
- 3. व लेखाधिकारी /आई टी सेल, राजकोट से निवेदन हैं कि इस परिपत्र को इस कार्यालय की वेब साईट पर डालने का प्रबंध करे|
  - 4. का.आ.फा.

वरिष्ठ लेखाधिकारी/डब्लू एम्-1